न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम–

रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 77/2016

1. उमर पुत्र स्व0 युसुफ सैयद उम्र 52 साल जाति खोकर
2. जैनूल आबेदीन उम्र 48 साल पुत्र स्व0 युसुफ सैयद जाति खोकर
3. इम्तियाज पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 45 वर्ष जाति खोकर
4. रफीक पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 41 वर्ष जाति खोकर
5. अबू बकर पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 39 वर्ष जाति खोकर
6. शफीक पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 37 वर्ष जाति खोकर
7. अनीस पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 35 वर्ष जाति खोकर
8. श्रीमती जुबेदा पत्नी स्व0 इंकलाब उम्र 65 वर्ष जाति खोकर

समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 8 सरकारी टंकी के पास मोहल्ला व्यापारियान कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

...वादीगण

<u>बनाम</u>

1. नदीम पुत्र स्व0 सरवर सैयद
2. नईम पुत्र स्व0 सरवर सैयद
3. नबील पुत्र स्व0 सरवर सैयद
4. अब्दुल कदीर पुत्र स्व0 सरवर सैयद
5. युसुफ पुत्र स्व0 सरवर सैयद
6. श्रीमती ताहीरा पत्नी स्व0 सरवर सैयद
7. फातिमा उफ ताहीरा पुत्री सरवर सैयद
8. सबैया
9. सुल्ताना
10. फरजाना
11. मैनाज

पुत्रीयां सरवर सैयद समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण वार्ड नं. 8 सरकारी टंकी के पास मोहल्ला व्यापारियान कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

12. तहसीलदारजी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

......प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर- सीकर (राज०)

वाद पत्र बाबत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 रा0भू0 रा0 अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

श्री राजकुमार शर्मा – वादीगण

श्री हरिकिशन – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः–23.04.2018

वादीनीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 5.88 है0 वाके रघुनाथपुरा तहसील फतेहपुर में अवस्थित है जिसे इस वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

वादग्रस्त भूमि में से रकबा 0.20 है0 भूमि की खातेदारी वादी संख्या 1 व 2 के नाम तथा वादी संख्या 3 लगायत 8 के पिता इंकलाब के नाम से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पिता एवं सरवर के नाम से बनी हुई है तथा उन्हीं का कब्जा, काश्त एवं खातेदारी है।

वादी संख्या 1 व 2 तथा वादी संख्या 3 से 8 के पिता इंकलाब तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पिता एवं पति स्व0 सरवर चारों सगे भाई थे जो स्व0 युसुफ सैयद की संतान थे जिनका काफी वर्षो तक शामलाती रूप से व्यापार शामिल शरीक में था शामलाती सम्पत्तियां थी जिन्हें वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 ने आपसी सहमति एवं रजामन्दी से पारिवारिक सेटलमेंट कर अपनी शामलाती सम्पत्तियों का विभाजन कर लिया उक्त पारिवारिक समझौता की लिखावट दिनांक 07.05.2007 की है जो 20/–, 20/– रूपये के 5 स्टाम्प तथा पाईपेपर नग 6 कुल 11 पेज में है जो नोटेरी पब्लिक के रजिस्टर में 241/2007 दिनांक 07.05.2007 की दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित पारिवारिक समझौता लिखावट में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आई प्रत्येक की सम्पति का पूर्ण विवरण है। पारिवारिक समझौता लिखावट के अनुसार वादग्रस्त भूमि 0.20है0 वादीगण के हिस्से में आई तथा वादी उमर जैनुल आबेदीन तथा वादीगण संख्या 3 से 8 के पिता इंकलाब के हिस्से में आई तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण की ही कब्जा काश्त तथा दखल है जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से पारिवारिक समझौता में किया गया है।

पारिवारिक समझौता में वादग्रस्त भूमि वादीगण के हिस्से में आ गई है तथा वादगस्त भूमि पर वादीगण की कब्जा काश्त है तथा वादग्रस्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग वादीगण ही करते है इस कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी 0.20है0 की अपने नाम उदघोषित करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादी संख्या 1 से 11 स्व0 सरवर के वारिस है तथा सरवर के नाम से वादीगण के [illegible] साथ खातेदारी बनी हुई है इस कारण सरवर की मृत्यु हो जाने से उनके उतराधिकारी प्रतिवादीगण 1 से 11 है जिन्होने पारिवारिक समझौता को निष्पादन किया है इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 11 से कई बार कहा कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम करवा दो लेकिन प्रतिवादीगण टालते चले आ रहे है तथा दिनांक 10.05.2016 को स्पष्ट इंकार हो गये है इस कारण वाद दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 5.68है0 वाके रघुनाथपुरा में से रकबा 0.20है0 भूमि का खातेदार समान में उदघोषित किया जावे तथा रकबा 0.20है0 की खातेदारी वादीगण के नाम से बनाई जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पिता एवं पति सरवर के नाम से बनी खातेदारी हटाई जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 का हिस्सा पूर्व से 1/6, 1/6 अंकित है। वर्तमान जमाबंदी में वादीगण के हिस्से में गणेशाराम का नाम सहवन से जुड़ गया है जिसे हटाया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से जबाव दावा व राजीनामा भी प्रस्तुत किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से हरिकिशन एड. ने वकालतनामा तथा जवाब दावा पेश किया। पत्रावली का भली– भांति अवलोकन किया गया। बहस सुनी गयी एवं मनन किया गया। अतः वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 48 रकबा 5.68 हैक्टर में से रकबा 0.20 है. भूमि का खातेदार वादीगण को समान रूप से उदघोषित किये जाने और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के पिता व पति के नाम से बनी खातेदारी हटाई जाने व इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

का अदालत उपखण्ड अधिकारी..............मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास_______रेनू मीणा (आर.ए.एस..)..

1. उमर पुत्र स्व0 युसुफ सैयद उम्र 52 साल जाति खोकर
2. जैनूल आबेदीन उम्र 48 साल पुत्र स्व0 युसुफ सैयद जाति खोकर
3. इम्तियाज पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 45 वर्ष जाति खोकर
4. रफीक पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 41 वर्ष जाति खोकर
5. अबू बकर पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 39 वर्ष जाति खोकर
6. शफीक पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 37 वर्ष जाति खोकर
7. अनीस पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 35 वर्ष जाति खोकर
8. श्रीमती जुबेदा पत्नी स्व0 इंकलाब उम्र 65 वर्ष जाति खोकर

   समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 8 सरकारी टंकी के पास मोहल्ला व्यापारियान कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

...वादीगण

<u>बनाम</u>

1. नदीम पुत्र स्व0 सरवर सैयद
2. नईम पुत्र स्व0 सरवर सैयद
3. नबील पुत्र स्व0 सरवर सैयद
4. अब्दुल कदीर पुत्र स्व0 सरवर सैयद
5. युसुफ पुत्र स्व0 सरवर सैयद
6. श्रीमती ताहीरा पत्नी स्व0 सरवर सैयद
7. फातिमा उफ ताहीरा पुत्री सरवर सैयद
8. सबैया
9. सुल्ताना
10. फरजाना
11. मैनाज

    पुत्रीयां सरवर सैयद समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण वार्ड नं. 8 सरकारी टंकी के पास मोहल्ला व्यापारियान कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

12. तहसीलदारजी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

......प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज॰)

याद पत्र बाबत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधिनियम 1955 सपठित धारा
136 रा0भू0 रा0 अधिनियम

मुकदमा नं. 77..........................सन्...2016...

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...........मेरे...

व हाजिरी श्री विधाधर सैन एडवोकेट..............................मिनजानिब मुदई रूबरू.......श्री भोजेन्द्र सिंह........
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि कि ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 48 रकबा 5.68 हैक्टर में से रकबा 0.20 है. भूमि का खातेदार वादीगण को समान रूप से उदघोषित किये जाने और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के पिता व पति के नाम से बनी खातेदारी हटाई जाने व इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे।

निज.......– ....मुबलिग..................–......................बाबत.........................–........................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह..................–..........................फीसदी सालाना आज की तारीख से
तरीख अदायगी तक...का अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....23.......माह ......अप्रेल..........सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत...........उपखण्ड अधिकारी...........

ओहदा.................................फतेहपुर सीकर (राज.)

मुहर

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर))

मुदई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	0	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	3			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।